हमारी मांग : सबके लिये खाद्य सुरक्षा*

{भोजन के अधिकार के लिये दिल्ली में रैली, 26 नवंबर 2009}

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने एक ऐसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने का कदम उठाया है जिसके तहत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार को 3 रूपये प्रति किलो की दर से 25 किलो खाद्यान्न दिया जायेगा। बढ़ती हुई कीमतों, सूखे, गहराई तक जाती भुखमरी {इसमें से ज्यादातर संकट पूर्व–वर्तमान की सरकारों द्वारा अपनाई आर्थिक नीतियों के कारण पैदा हुये हैं} के संदर्भ में इस तरह का सीमित कानून निरर्थक और बेमानी है। रोजी–रोटी अधिकार अभियान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के इस तरह के प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को खारिज करने के साथ ही सुरक्षित और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता और पहुंच को तत्काल सुनिश्चित करने वाले ऐसे कानून की मांग करता है जो भुखमरी के ढांचागत कारणों को प्रभावित करे और देश के हर रहवासी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्रदान करे। हम आगे मांग करते हैं कि भारत सरकार अपने कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए रोजी–रोटी अधिकार अभियान द्वारा प्रस्तुत किये गये कानून के प्रारूप को एक आधार के रूप में अपनाये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा, महिला या पुरूष भूखा न सोये और कुपोषण का शिकार न होने पाये।

हमारी मांगें

1. भोजन का अधिकार कानून लागू किया जाये : भोजन का अधिकार कानून के संदर्भ में सामाजिक संस्थाओं और संगठनों से संवाद करने की प्रक्रिया में सरकार को कदम उठाने में कोई देरी नहीं करना चाहिये। सूखे की परिस्थितियों को सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले व्यापक भोजन के अधिकार कानून को लागू करने में देरी के बहाने के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिये।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लोकव्यापीकरण

   - देश में रहने वाले हर व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाया जाये।
   - हर वयस्क के लिये हर महीने 14 किलो अनाज, डेढ़ किलो दाल और 800 ग्राम खाने के तेल की पात्रता सुनिश्चित की जाये।
   - अनाज में पौष्टिक और स्थानीय अनाज शामिल होने चाहिये।
   - अनाज 2 रूपये प्रति किलो के मान से अपलब्ध कराया जाना चाहिये। इसमें दाल की कीमत 20 रूपये और खाने के तेल का दाम 35 रूपये तय किया जाये।
   - खाद्यान्न की खरीदी, भण्डारण और वितरण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था हो।
   - राशन कार्ड परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्य के नाम से जारी हो।

3. बहिष्कृत, वंचित समूहों और आपदाओं से प्रभावितों को पेंशन, अंत्योदय कार्ड और पके हुए भोजन सहित विशेष संरक्षण

   - इस कानून में और इस कानून के द्वारा वृद्धों, विकलांगों, एकल महिला–बच्चों पर निर्भर परिवारों, निराश्रितों, बंधुओं मजदूरों, पिछड़ी हुई आदिम जनजाति, विमुक्त जाति–जनजाति, शहरी आश्रयहीन और संरक्षणविहीन बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिये।
   - इन वर्गों को अंत्योदय कार्ड मिलना चाहिये और अन्य जनसंख्या की अपेक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आधी कीमत पर अनाज मिलना चाहिये।
   - इन वर्गों से संबंधित हर व्यक्ति एवं परिवार को अतिरिक्त अधिकारों की पात्रता, जैसे पका हुआ भोजन, बच्चों को आवासीय स्कूलों में प्रवेश, हर अधिकार में दो गुना आवंटन की पात्रता और एक क्विंटल मुफ्त खाद्यान्न होना चाहिये।
   - पलायन करने वाले मजदूरों और शहरी निराश्रितों के लिये विशेष नीतियां बनना चाहिये।

---

* रोजी–रोटी अधिकार अभियान / www.righttofoodindia.org

- ❖ सरकार को हर आपातकालीन परिस्थिति एवं आपदा (प्राकृतिक और इंसान द्वारा निर्मित) और भुखमरी की स्थिति में विशेष कदम उठाने की तत्परता दिखाना चाहिये।
- ❖ विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की आधी राशि के बराबर पेंशन का प्रावधान (मौजूदा न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में औसतन 1300 रूपये प्रतिमाह के बराबर)

4. <u>सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को कमजोर न करना</u> – भोजन का अधिकार कानून में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के, न्यूनतम कानूनी अधिकार और अन्य व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने वाले, आदेशों को किसी भी तरह से कमजोर न किया जाये।

5. <u>सामाजिक भेदभाव से प्रभावित व्यक्तियों के लिये दृढ़ व्यवस्था</u>

- ❖ रसोईयों और सहायकों के कम से कम 50 प्रतिशत पद दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों से भरे जाने चाहिये।
- ❖ आंगनवाड़ी और राशन की दुकानों की स्थापना में दलित, आदिवासी और मुस्लिम बसाहटों को प्राथमिकता दी जाना चाहिये।

6. <u>एक प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना करना</u>

- ❖ शिकायत निवारण व्यवस्था में गलत काम करने वालों के लिये अर्थदण्ड और सजा का, और जिनके साथ गलत हुआ उनके लिये मुआवजे का प्रावधान होना चाहिये।
- ❖ तमाम खाद्यान्न कार्यक्रमों में पारदर्शिता के लिये ठोस ढांचा बनाया जाना चाहिये। इसके साथ ही सामाजिक अंकेक्षण के लिये आवश्यक प्रावधान किये जायें।
- ❖ हर स्तर पर जवाबदेहिता तय की जाये।

7. <u>''भोजन और खाद्यान्न पहले'' की नीति का पालन हो</u>

- ❖ खाद्यान्न उत्पादन से जमीन, पानी और जंगल का अन्य उपयोग के लिए जबरिया परिवर्तन रोका जाये।
- ❖ कुपोषण खत्म होने तक खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध।
- ❖ किसानों को संरक्षण देने के लिए खाद्यान्न आयात न हो यह सुनिश्चित किया जाये और केवल कमी पड़ने पर अस्थाई आयात हो।
- ❖ किसान अनाज का उत्पादन करने में रूचि लें, इसके लिये सरकार को अनाजों के और बेहतर समर्थन मूल्य तय करना चाहिये।
- ❖ अनाज उत्पादन, अनाज के बाजार और पोषण संबंधी योजनाओं हर तरह के व्यापारिक संस्थानों के हितों (अनुबंध खेती सहित) और कार्पोरेट के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिये।
- ❖ सरकार सुनिश्चित करे कि हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी और स्वच्छता उपलब्ध हो।
- ❖ खेती और सरकारी खाद्यान्न कार्यक्रमों में जीएम तकनीक के उपयोग पर सरकार प्रतिबंध रखे।

8. <u>भूख, सूखा और उल्लंघन की स्थिति में त्वरित कार्यवाही</u>

- ❖ हर वयस्क को अकाल संहिता के मुताबिक रोजगार मिलना चाहिये। सूखा प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (नरेगा) कानून का क्रियान्वयन भी अकाल संहिता के प्रावधानों के मुताबिक होना चाहिये। नरेगा के अस्तित्व में होने के बाद हर सार्वजनिक निर्माण कार्य नरेगा के तहत होना चाहिये, बजाये इसके कि राहत कार्यों के लिये अलग से नई समानान्तर व्यवस्था खड़ी की जाये।
- ❖ मजदूरी में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाना चाहिये। मजदूरी वृद्धि पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाना चाहिये।

- ❖ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पात्रता 50 प्रतिशत बढ़ाई जाना चाहिये।
- ❖ देश के 278 सूखा एवं चक्रवात प्रभावित जिलों में भुखमरी और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिये खाद्यान्न, पानी और चारे की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो।
- ❖ स्कूल से बाहर के सभी बच्चों को मध्यान्न भोजन मिले और छुट्टियों में इसका सतत् संचालन।
- ❖ पिछड़ी आदिम जन जाति के सभी परिवारों विकलांग, वृद्व और अन्य वंचित समूहों को अन्त्योदय योजना के तहत लाना और पीडीएस की पात्रता को 50 प्रतिशत बढ़ाना चाहिये।
- ❖ सरकार को भोजन का अधिकार और नरेगा से संबंधित हर शिकायत और उल्लंघन के मामले का तत्काल निराकरण करना चाहिये।

अनिवार्य खाद्य हकदारियां

समस्त परिवारों के लिये – राशन व्यवस्था का सार्वभौमिकीकरण किया जाये और उसके अंर्तगत् समस्त परिवारों को प्रति वयस्क व्यक्ति के हिसाब से 14 किलोग्राम अनाज 2 रुपये प्रति किलो की दर से मिले, साथ ही 1.5 किलो दाल व 800 ग्राम खाद्य तेल राशन दुकान से मिलना चाहिये ।

अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवार – अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों के लिये वर्तमान कोटे का दुगुना तथा वर्तमान दर की आधी दर पर दिया जाये।

पलायन करने वाले परिवारों को देश भर में कहीं भी अपनी पात्रता का उपयोग करने का अधिकार।

विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की आधी राशि के बराबर पेंशन का प्रावधान।

0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे – बच्चों के जन्म के समय से ही माताओं को दुग्धपान के लिये सहायता, दुग्धपान परामर्श, समस्त मातृत्व हकदारी और कार्यस्थल पर झूलाघर की सुविधा ।

6 माह से 3 वर्ष तक की उम्र के बच्चे – घर ले जाने के लिये स्थानीय खाद्य पदार्थों पर आधारित पौष्टिक राशन जो कि स्थानीय आंगनवाड़ी से प्रति सप्ताह मिले।

3 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे – गर्म पका पौष्टिक भोजन और पूरक पोषणाहार जो कि स्थानीय आंगनवाड़ी द्वारा दिया जाये।

6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे – समस्त शासकीय स्कूलों में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिये पौष्टिक पका भोजन।

गर्भवती और धात्री माताओं के लिये – घर ले जाने के लिये स्थानीय खाद्य पदार्थों पर आधारित पौष्टिक राशन जो कि आंगनवाड़ी से प्रति सप्ताह मिले, व मूलभूत मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले।